पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

कमांक पु0मु0/कल्याण केन्द्र/1447/2024 भोपाल, दिनांक 12/11/2024

प्रति,

1. समस्त विशेष पुलिस महानिदेशक/अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल (आरएपीटीसी/जेएनपीए/पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भौरी सहित)
2. समस्त जोनल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, म.प्र. (विसबल सहित)
3. पुलिस आयुक्त, भोपाल/इंदौर
4. समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक रेंज (विसबल सहित),म.प्र.
5. समस्त पुलिस अधीक्षक (रेल व पीटीएस सहित), म.प्र.
6. समस्त सेनानी, म.प्र.
7. समस्त पुलिस इकाईयां, म.प्र.

विषय :– पुलिस परिवार की महिलाओं एवं बेटियों के सशक्तीकरण हेतु **'धृति'**– मध्यप्रदेश पुलिस परिवार कल्याण समिति की स्थापना के संबंध में।

मध्यप्रदेश पुलिस में कर्मचारियों के कल्याण हेतु विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिससे संपूर्ण प्रदेश के पुलिसकर्मी लाभान्वित हो रहे हैं। कर्मचारियों के कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं का संचालन पुलिस मुख्यालय स्तर पर कल्याण शाखा द्वारा किया जा रहा है तथा इकाई स्तर पर विभिन्न अधिकारी/कर्मचारी इन योजनाओं का क्रियान्वयन कराते हैं। जमीनी स्तर पर कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पुलिस मुख्यालय तथा इकाई स्तर पर अधिकारियों की धर्मपत्नियां भी इसमें विभिन्न आयामों में स्वेच्छिक रूप से अपना योगदान देती हैं।

पिछले लगभग एक वर्ष में पुलिस महानिदेशक व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की धर्मपत्नियों द्वारा पुलिस परिवार की महिलाओं व बेटियों को प्रोत्साहित कर उनकी प्रतिभा व अभिरूचि के अनुसार विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प व अन्य घरेलू उत्पादों का निर्माण कराया गया है तथा दिल्ली, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास, खजुराहो आदि स्थानों पर प्रदर्शनियों में इन उत्पादों के विकय की व्यवस्था कर पुलिस परिवार की महिलाओं व बेटियों के स्वावलंबन एवं आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में

सकारात्मक पहल की गई है। पचमढ़ी में एक विक्रय केन्द्र भी स्थापित किया गया है तथा भोपाल में भी विक्रय केन्द्र प्रारंभ किया जा रहा है।

कर्मचारी कल्याण हेतु की गई इस पहल को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इस कार्य को एक व्यवस्थित स्वरूप देकर संगठनात्मक संरचना विकसित की जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मध्यप्रदेश पुलिस परिवार कल्याण समिति की संरचना 'धृति' नामकरण से की गई है।

लक्ष्य

'धृति' पुलिस परिवार कल्याण समिति का लक्ष्य है कि पुलिस परिवारों का आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास हो। पुलिस परिवार के सदस्यों विशेषकर महिलाओं व बेटियों की कार्यक्षमता का उन्नयन और कौशल का विकास कर उनकी आत्म अभिव्यक्ति, स्वावलंबन व आर्थिक उन्नयन हेतु सुगम वातावरण प्रदान करना समिति का प्रमुख उद्देश्य है। पुलिस परिवारों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध तथा विकासशील विचारधारा का संवर्धन कर यह समिति पुलिस परिवारों का संबल बन पुलिस कर्मियों को एक बेहतर सामाजिक व पारिवारिक जीवन प्रदान करने का माध्यम बनने हेतु सृजित है।

संरचना तथा संगठन

धृति की संरचनात्मक व्यवस्था त्रिस्तरीय होगी। इस त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत राज्य स्तरीय समिति, जोन/कमिश्नरेट स्तरीय समिति तथा इकाई स्तरीय समिति होंगी। समग्र कार्यवाही राज्य स्तरीय केन्द्रीय समिति के मार्गदर्शन में संपादित होगी। जोन स्तरीय समिति अपने अधीनस्थ भौगोलिक क्षेत्र की समस्त इकाइयों की समितियों के मध्य समन्वय का कार्य करेगी। इकाई स्तर पर इकाई स्तरीय समिति द्वारा कार्य किया जाएगा। समितियों के कार्य संपादन हेतु आवश्यकतानुसार राशि कल्याण निधि से नियमानुसार स्वीकृत की जा सकेगी।

त्रिस्तरीय समिति संगठन की संरचना **परिशिष्ट 'अ'** अनुसार होगी।

कार्य

धृति के कार्य निम्नानुसार होंगे :—

1. पुलिस परिवार की महिलाओं और बच्चों की अभिरूचि (Hobby) को पहचानना।
2 पुलिस परिवार की महिलाओं और बच्चों की विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से तैयार की गई कृतियों एवं वस्तुओं के विक्रय हेतु सुविधा उपलब्ध कराना जैसे प्रदर्शनी लगाना, राज्य स्तर एवं इकाई स्तरों पर विक्रय केन्द्र खोलना, अन्य व्यावसायिक संस्थानों से प्रत्यक्ष अथवा ऑनलाईन संपर्क करके उत्पादों का विक्रय सुनिश्चित कराना।
3. हस्तशिल्प एवं गृह निर्मित कलाकृतियों एवं शिल्पकृतियों को बाजार में अधिक से अधिक बढ़ावा दिलाने के लिए संस्थागत तरीके से प्रयास करना।
4. पुलिस परिजनों के कौशल विकास हेतु समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। कालांतर में प्रशिक्षित परिजनों को प्रशिक्षक की भूमिका में सम्मिलित करते हुये अधिक से अधिक परिजनों को विभिन्न विधायें सिखाने का वातावरण निर्मित करना।
5. शारीरिक / मानसिक स्वास्थ्य के उन्नयन हेतु योग शिविर एवं अन्य गतिविधियां आयोजित कराना।
6. सामाजिक / धार्मिक उत्सव आयोजनों को जीवन की व्यापक विधाओं के विकास के अवसर के रूप में स्थापित करना— जैसे गरबा, सावन मेला आदि का आयोजन।
7. स्वास्थ्य एवं सुपोषण संबंधी विषय में जागरूकता प्रदान करने हेतु कार्यशाला एवं नियमित मार्गदर्शन उपलब्ध कराना।
8. दिशा स्टूडेंट लर्निंग सेंटर की गतिविधियों में सहयोग एवं सहभागिता रखते हुए सामर्थ्य उन्नयन का अधिकाधिक प्रयास करना।
9. अध्ययन, खेलकूद, नृत्य, गायन, नाट्य, चित्रकला, मूर्तिकला, फोटोग्राफी आदि विभिन्न विधाओं की अभिव्यक्ति हेतु मंच / अवसर उपलब्ध कराना। विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कराना एवं अन्य संस्थाओं से संपर्क रखते हुए परिजनों के कौशल प्रदर्शन हेतु सुविधा उपलब्ध कराना।
10. समिति के कार्यों एवं उपलब्धियों का व्यापकता में प्रचार—प्रसार करते हुए परिजनों को बेहतर प्रदर्शन हेतु और अधिक अभिप्रेरित करना।

लोगो

धृति का लोगो **परिशिष्ट 'ब'** पर संलग्न है।

सभी अधिकारियों से अपेक्षा है कि **परिशिष्ट 'अ'** अनुसार समितियों का गठन कर सूची दिनांक 20 नवम्बर, 2024 तक सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को प्रेषित करने का कष्ट करें। साथ ही धृति के लक्ष्य की पूर्ति हेतु उल्लेखित कार्यो को पूर्ण मनोयोग से संपादित करें।

(पुलिस महानिदेशक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

12.11.24

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कल्याण)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

कमांक पु0मु0 / कल्याण केन्द्र / 1447 / 2024 भोपाल, दिनांक 12 / 11 / 2024
प्रतिलिपि :–

1. महानिदेशक, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा, म.प्र. भोपाल
2. चेयरमेन, म.प्र. पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन, भोपाल
3. महानिदेशक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, म.प्र. भोपाल
4. महानिदेशक, जेल, मध्यप्रदेश, भोपाल
5. विशेष पुलिस महानिदेशक, म.प्र. पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन, भोपाल
6. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, जेल, म.प्र. भोपाल
7. संचालक, म.प्र. खेल एवं युवा कल्याण, भोपाल
8. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक / आयुक्त, परिवहन विभाग, ग्वालियर
9. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, लोकायुक्त संगठन, म.प्र. भोपाल
10. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक / ओएसडी टू मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र. भोपाल

की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित है।

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कल्याण)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

परिशिष्ट 'अ'

<u>संरचना तथा संगठन</u>

I. <u>केन्द्रीय समिति –</u>

अध्यक्ष (पदेन) – पुलिस महानिदेशक की धर्मपत्नी।

सचिव (पदेन) – अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कल्याण) की धर्मपत्नी।

कार्यकारिणी – कार्यकारिणी में कुल 07 सदस्य होंगे, जिसमें से 02 पदेन सदस्य एवं 05 मनोनीत सदस्य होंगे। पदेन सदस्य के रूप में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, विसबल एवं पुलिस कमिश्नर भोपाल की धर्मपत्नी रहेंगी। 05 मनोनीत सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जायेगा।

विशेष आमंत्रित सदस्य –

1. सभी जोन स्तरीय व पुलिस कमिश्नरेट की समितियों की अध्यक्ष केन्द्रीय समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य रहेंगी।
2. अध्यक्ष द्वारा आवश्यकता एवं अभिरूचि अनुसार अन्य अधिकारियों की धर्मपत्नी को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मनोनीत किया जा सकता है। ये अधिकारी किसी भी रैंक के हो सकते हैं।

समन्वय/सहयोग – संपूर्ण केन्द्रीय समिति के कार्यों का समन्वय सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण) द्वारा किया जायेगा। इनके सहयोग हेतु रक्षित निरीक्षक नगरीय पुलिस भोपाल तथा भोपाल स्थित 7वीं/23वीं/25वीं वाहिनी विसबल के क्वाटर मास्टर प्रतिबद्ध होंगे।

राज्य स्तरीय समन्वय – केन्द्रीय समिति नीति निर्धारण तथा अन्य नीतिगत निर्णय लेगी तथा जोन/कमिश्नरेट व इकाई स्तरीय समितियों को मार्गदर्शन व आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करेगी तथा उनसे सुझाव व सहयोग प्राप्त करेगी। केन्द्रीय समिति के मार्गदर्शन के अनुरूप कार्य करना जोन स्तरीय तथा इकाई स्तरीय समितियों के लिए अपेक्षित होगा।

II. जोन स्तरीय समिति –

अध्यक्ष (पदेन) – अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जोन/पुलिस महानिरीक्षक जोन की धर्मपत्नी।

उपाध्यक्ष – जोन में पदस्थ उप पुलिस महानिरीक्षक रेंज तथा उप पुलिस महानिरीक्षक, विसबल रेंज की धर्मपत्नी। यदि कोई अन्य उप पुलिस महानिरीक्षक जोन में पदस्थ हैं, तो उनकी धर्मपत्नी भी उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगी।

सचिव (पदेन) – जोन मुख्यालय के जिले के पुलिस अधीक्षक की धर्मपत्नी।

कार्यकारिणी –

1. जोन में पदस्थ सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक व सेनानी विसबल की धर्मपत्नी (भोपाल व इंदौर कमिश्नरेट को छोड़कर)। यदि जोन में जिला व वाहिनी के अतिरिक्त कोई अन्य धृति इकाई कार्यरत है (रेल, पीटीएस आदि) तो उस इकाई प्रमुख की धर्मपत्नी भी इस कार्यकारिणी की सदस्य होंगी।
2. 05 अन्य सदस्य जिन्हें अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जायेगा।

विशेष आमंत्रित सदस्य –

1. जोन में यदि पुलिस महानिरीक्षक, विसबल अथवा अन्य पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी पदस्थ हैं तो उनकी धर्मपत्नी विशेष आमंत्रित सदस्य रहेंगी।
2. अध्यक्ष द्वारा आवश्यकता एवं अभिरूचि अनुसार अन्य अधिकारियों की धर्मपत्नी को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मनोनीत किया जा सकता है। ये अधिकारी किसी भी रैंक के हो सकते हैं।

समन्वय/सहयोग – जोन स्तरीय समिति के कार्य का समन्वय जोनल मुख्यालय के जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा रक्षित निरीक्षक द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि जोनल मुख्यालय के जिले में विसबल वाहिनी स्थित है तो वाहिनी के क्वाटर मास्टर द्वारा भी सहयोग व समन्वय अपेक्षित होगा।

जोन स्तरीय समन्वय – जोन स्तरीय समिति इकाई स्तरीय समितियों को मार्गदर्शन देगी तथा केन्द्रीय समिति से समय समय पर मार्गदर्शन व निर्देश प्राप्त होने पर उसका अनुसरण करने के लिये भी प्रतिबद्ध होगी। साथ ही केन्द्रीय समिति को सुझाव व सहयोग प्रदान करेगी।

III. <u>पुलिस कमिश्नरेट, भोपाल व इंदौर स्तरीय समिति –</u>

अध्यक्ष (पदेन) – पुलिस आयुक्त की धर्मपत्नी।

उपाध्यक्ष – अतिरिक्त पुलिस आयुक्तों की धर्मपत्नी।

सचिव (पदेन) – पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) की धर्मपत्नी।

कार्यकारिणी –

1. कमिश्नरेट में पदस्थ सभी पुलिस उपायुक्तों की धर्मपत्नी।
2. भोपाल व इंदौर स्थित विसबल वाहिनियों के सेनानी की धर्मपत्नी (क्रमशः भोपाल व इंदौर कमिश्नरेट की समिति के लिये)।
3. 05 अन्य सदस्य जिन्हें अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जायेगा।

विशेष आमंत्रित सदस्य –

1. पुलिस महानिरीक्षक, विसबल रेंज की धर्मपत्नी। इंदौर की समिति के लिये आरएपीटीसी इंदौर में पदस्थ पुलिस महानिरीक्षक व उनसे वरिष्ठ स्तर के अधिकारी की धर्मपत्नी विशेष आमंत्रित सदस्य रहेंगी।

2. अध्यक्ष द्वारा आवश्यकता एवं अभिरूचि अनुसार अन्य अधिकारियों की धर्मपत्नी को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मनोनीत किया जा सकता है। ये अधिकारी किसी भी रैंक के हो सकते हैं।

समन्वय/सहयोग – कमिश्नरेट स्तरीय समिति के कार्य का समन्वय पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) द्वारा किया जायेगा। कमिश्नरेट के रक्षित निरीक्षक तथा वहां स्थित वाहिनियों के क्वाटर मास्टर द्वारा सहयोग किया जायेगा। यह समिति केन्द्रीय समिति से समय समय पर मार्गदर्शन व निर्देश प्राप्त होने पर उसका अनुसरण करने के लिये भी प्रतिबद्ध होगी। साथ ही केन्द्रीय समिति को सुझाव व सहयोग प्रदान करेगी।

IV. इकाई स्तरीय समिति –

प्रदेश पुलिस की सभी इकाईयों में इकाई स्तरीय समिति गठित की जाएगी।

अध्यक्ष (पदेन) – जिला/विसबल वाहिनी/इकाई के पुलिस अधीक्षक/सेनानी/ इकाई प्रमुख की धर्मपत्नी।

सचिव (पदेन) – इकाई में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी की धर्मपत्नी। यदि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी पदस्थ नहीं हैं अथवा पद रिक्त है तो अध्यक्ष द्वारा मनोनीत उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी की धर्मपत्नी।

कार्यकारिणी –

1. 04 अन्य सदस्य जिन्हें अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जायेगा।
2. रक्षित निरीक्षक/क्वाटर मास्टर की धर्मपत्नी।

विशेष आमंत्रित सदस्य –

1. अध्यक्ष द्वारा आवश्यकता एवं अभिरूचि अनुसार अन्य अधिकारियों की धर्मपत्नी को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मनोनीत किया जा सकता है। ये अधिकारी किसी भी रैंक के हो सकते हैं।

समन्वय/सहयोग – इकाई स्तरीय समिति में समन्वय व सहयोग का कार्य इकाई में पदस्थ रक्षित निरीक्षक/क्वाटर मास्टर द्वारा किया जाएगा।

इकाई स्तरीय समन्वय – इकाई स्तरीय समिति केन्द्रीय समिति व जोन स्तरीय समिति से समय समय पर मार्गदर्शन व निर्देश प्राप्त होने पर उसका अनुसरण करने के लिये प्रतिबद्ध होगी। साथ ही जोन स्तरीय समिति व केन्द्रीय समिति को सुझाव व सहयोग प्रदान करेगी।

विभिन्न समितियों में सहभागिता स्वेच्छिक रहेगी।

परिशिष्ट 'ब'

<u>धृति का लोगो</u>

धृति
मध्य प्रदेश
पुलिस परिवार
कल्याण केन्द्र